

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खंड 3 के उप खंड (ii) में प्रकाशन के लिए

**भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली**

6 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

सा. आ..... जबकि मेसर्स जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड का B737-900 विमान VT-JGD दिनांक 03.03.2016 को मुंबई में दुर्घटना का शिकार हो गया था।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार को यह उचित प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस दुर्घटना की औपचारिक जांच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार श्री अमित गुप्ता, निदेशक, एईडी, की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर जांच समिति नियुक्त करती है:-

- (i) श्री राजे भटनागर, सहायक निदेशक, एएआईबी
- (ii) सुश्री शिल्पी सेतिया, विमान संरक्षा अधिकारी, एएआईबी
- (iii) श्री दिनेश कुमार, विमान संरक्षा अधिकारी, एएआईबी

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः छह महीने के भीतर इसकी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।



(बी एस भुल्लर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सं.एवी-15029/3/2016-डीजी

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी
बाहरी रिंग रोड, नई दिल्ली

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB-SECTION (ii) OF THE
EXTRAORDINARY GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJIV GANDHI BHAWAN, NEW DELHI

6 April, 2016

NOTIFICATION

S.O.... Whereas an M/s Jet Airways (India) Ltd. B737-900 aircraft VT-JGD met with an accident at Mumbai on 03.03.2016.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said accident and make recommendations to avoid recurrence of such accident in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the accident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Sh. Amit Gupta, Director, AED with following members:

- (i) Sh. Raje Bhatnagar, Assistant Director, AAIB
- (ii) Ms. Shilpy Satiya, Air Safety Officer, AAIB
- (iii) Sh. Dinesh Kumar, Air Safety Officer, AAIB

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.



(B. S. Bhullar)
Joint Secretary to Govt. of India

No. AV- 15029/3/2016-DG

To,
The Manager,
Govt. of India Press, Mayapuri
Outer Ring Road, New Delhi